

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, गवालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1664-पीबीआर/2015 विरुद्ध आदेश दिनांक 25-5-2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 28/अ-6/2014-15

अब्दुल कादर पिता तैयब अली
निवासी दाउदपुरा शहर तहसील व जिला बुरहानपुर म0प्र0

..... आवेदक

विरुद्ध

- 1—आसमाबाई पति तैयब अली
- 2—कायद जौहद पति हकीमउद्दीन रंगवाला
- 3—अख्तर हुसैन पिता तैयब अली
- 4—शब्बीर हुसैन पिता हकीमउद्दीन रंगवाला
सभी निवासी पथर बिल्डिंग के पास,
दाउदपुरा शहर तह. व जिला बुरहानपुर म0प्र0
- 5—नफीसाबाई पति मोहम्मद हुसैन
निवासी अमीन टॉवर रोड हिल बाजार घाट हैदराबाद
- 6—मुनीराबाई पति आसिफ हुसैन पुत्री हकीमउद्दीन रंगवाला
निवासी अंबर बुट हाउस, मस्जिद के पास, मेन रोड बलखेड़ी
होशंगाबाद म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....
श्री विनोद सुगंधी, अभिभाषक—आवेदक
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक—अनावेदक क्र. 1,2,3,5 एवं 6

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: २६/११/१५ को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-5-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की


गई है।

५२

०००१

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा उप नजूल अधिकारी बुरहानपुर के आदेश दिनांक 3-7-13 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 6-12-14 को लगभग एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई, साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्र.क्र. 28/अ/अ-6/14-15 दर्ज कर दिनांक 25-5-15 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्कों में मुख्य रूप से आधार लिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों एवं दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया गया है। यह भी आधार लिया गया कि नजूल अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण ने उपस्थित होकर हस्ताक्षर किये हैं और लिखित में जबाब भी प्रस्तुत किया है, इसलिये अनावेदकगण को आदेश की जानकारी पूर्व से थी, इस तथ्य को अनदेखा कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में अन्यायपूर्ण कृत्यवाही की गई है। तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक की माता अमतुल्लाबाई नजूल अधिकारी के समक्ष पक्षकार के रूप में उपस्थित रही हैं, अतः उनके जीवनकाल में उक्त अनावेदकगण का संपत्ति में कोई हित नहीं था व उन्हें सूचना दिये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं बतलाया गया है, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में अवैधानिकता की गई है। यह भी आधार लिया गया है कि अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और अनावेदक क्रमांक 5 एवं 6 द्वारा खसरा प्राप्त होने पर आदेश की जानकारी होना बतलाया गया है, परन्तु कोई आवेदन पत्र अभिलेख में नहीं है। अंत में तर्क प्रस्तुत




किया गया कि अनावेदक की ओर से प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य मान्य करने का अनुरोध किया गया है।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक क्रमांक 1, 2, 3, 5 व 6 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उप नजूल अधिकारी द्वारा अनावेदकगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है और उनके पीठ पीछे आदेश पारित किया गया है, इसलिये अनावेदकगण द्वारा जानकारी के दिनांक से समय सीमा में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है। यह भी कहा गया कि इस प्रकरण में केवल एक वर्ष का विलम्ब है और जब तक प्रकरण प्रस्तुत करने में असाधारण विलम्ब नहीं हो तब तक प्रकरण का समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर निराकरण नहीं करते हुये गुणदोष पर निराकरण करना चाहिये। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनकर विलम्ब क्षमा किया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5/ अनावेदक क्रमांक 4 के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

6/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार न्यायालय के आदेश दिनांक 30-7-2013 के विरुद्ध प्रथम अपील दिनांक 6-12-2014 को लगभग 1 एक वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण द्वारा तर्क के दौरान बताया गया है कि वह तहसील न्यायालय में कभी भी उपस्थित नहीं हुये हैं और न ही उन्हें तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी थी, अतः उपरोक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का

००१

७८

आवेदन पत्र स्वीकार करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, क्योंकि जब तक प्रकरण प्रस्तुत करने में असाधारण विलम्ब नहीं हुआ हो, तब तक प्रकरण का निराकरण समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर न किया जाकर गुणदोष के आधार पर किया जाना चाहिये, ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके। दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-5-2015 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

8/ यह आदेश प्रकरण क्रमांक निगरानी 1665-पीबीआर/2015 पर भी लागू होगा, अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये।

७/८


(मनोज गोयल)

अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर